



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-06.01.2023

कुल 320 लीटर अवैध कच्ची शराब, अपमिश्रण पदार्थों एवं शराब बनाने के उपकरण के साथ 05 नफर अभियुक्तगण थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम अमौली भट्टे के पास दबिश देकर अभियुक्तगण 1-विजय तुरी पुत्र संजय तुरी नि0-चेचन्धा पो0-मनिका थाना मनिका जिला लातेहार (झारखण्ड) 2-सुरेश उरांव पुत्र चरवा उरांव नि0-ग्राम चमेली पो0-सरागों नवा टोली थाना बाघरा जिला गुमला (झारखण्ड) 3-प्रदीप यादव पुत्र दरवन यादव नि0-पुन्दागं पो0-प्रेशरार थाना सेन्हा जनपद लोहरदंगा (झारखण्ड) 4-संजय विश्वकर्मा पुत्र विरसा विश्वकर्मा नि0-घोड़ा टागर पो0 पूटो थाना घाघरा जिला गुमला (झारखण्ड) व 5-अमित यादव पुत्र सौरु यादव नि0-ग्राम अमौली पो0-अमौली थाना चौबेपुर वाराणसी को दिनांक-05.01.2023 को समय करीब 22.15 बजे कुल 320 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण भट्टी, 05 अदद अपमिश्रण पदार्थ-यूरिया, फिटकिरी, गुड़ व महुआ तथा लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-12/2023 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- (1) विजय तुरी पुत्र संजय तुरी नि0-चेचन्धा पो0-मनिका थाना मनिका जिला लातेहार (झारखण्ड) उम्र करीब 23 वर्ष।
- (2) सुरेश उरांव पुत्र चरवा उरांव नि0-ग्राम चमेली पो0-सरागों नवा टोली थाना बाघरा जिला गुमला (झारखण्ड) उम्र करीब 38 वर्ष।
- (3) प्रदीप यादव पुत्र दरवन यादव नि0-पुन्दागं पो0-प्रेशरार थाना सेन्हा जनपद लोहरदंगा (झारखण्ड) उम्र करीब 21 वर्ष।
- (4) संजय विश्वकर्मा पुत्र विरसा विश्वकर्मा नि0-घोड़ा टागर पो0 पूटो थाना घाघरा जिला गुमला (झारखण्ड) उम्र करीब 22 वर्ष।
- (5) अमित यादव पुत्र सौरु यादव नि0-ग्राम अमौली पो0-अमौली थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- कुल 320 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण भट्टी, 05 अदद अपमिश्रण पदार्थ-यूरिया (01 किलो 100 ग्राम), फिटकिरी (2 किलो 600 ग्राम), गुड़ (4 किलो) व महुआ (60 किलो) तथा लहन 2000 लीटर बरामदा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ०नि० दिनेश कुमार मौर्य थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. म०उ०नि० मीतू श्रीवास्तव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. म०का० मनीषा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे०का विजय शंकर यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का० राहुल कुमार थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का०अजीत सिंह यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का० छट्टू लाल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का० सत्यवीर थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

